(79)

कोर्ट फी 20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल (म0प्र0)ग्वालियर

श्री जितेन्द्र दुर्गावाला अभि0 द्वारा आज दि. 29-8-17 को प्रस्तुत

पुनरीक्षण याचिका कमांक

श्रवण दिनांक 29-8-2017

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-8-17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू0रा0/2017/2914

1. मधुकर पिता नारायण मेढे व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बख्खारी तहसील व जिला बुरहानपुर ——याचिकाकर्ता

विरूध्द

1. मनाबाई पुत्री नारायण पति नरेश निवासी न्यु दुर्गानगर बी–19 के सामने 05 नंबर बस स्टॉप शिवाजीनगर भोपाल म.प्र.

———— प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत

यह कि याचिकाकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार बुरहानपुर वृत्त शाहपुर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण कमांक 8–अ/70 वर्ष 2015–16 मे पक्षकार मनाबाई विरूध्द मधुकर नारायण मेढे के प्रकरण मे आदेशिका मे पारित आदेश दिनांक 28.7.17से व्यथीत असंतुष्ठ होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है

M. Medhe

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा/17/2914

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव मेमों पर उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक टी0टी0गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है और तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत हो चुकी है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश भी जारी किया गया है जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है तथा उसकी अपील भी अनुविभागीय अधिकारी को की जा चुकी है। अत: अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	